भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3436

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कार्य

3436. श्री देवेश शाक्य:

श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत वर्ष 2020 से स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जिलों में फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण लाइनों के सुदृढ़ीकरण, नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि और किए गए व्यय का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एटा, कासगंज और जौनपुर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वोल्टेज की समस्या, ट्रिपिंग और लाइन लॉस के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार इन जिलों में शेष लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार ने वर्ष 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और गांवों के विद्युतीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों में किए गए कार्य और वित्तीय विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न हैं।

(ग) एवं (घ) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता देती है ताकि वे सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

उपभोक्ताओं को वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण यूटिलिटी को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर वितरण अवसंरचना कार्यों जैसे कि सब-स्टेशन और वितरण ट्रांसफॉर्मरों का उन्नयन/विस्तार, कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, नई एचटी/एलटी लाइनें, फीडर विभाजन, फीडर पृथक्करण आदि के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों के लिए क्रमशः ₹391 करोड़, ₹358 करोड़ और ₹711 करोड़ के वितरण अवसंरचना कार्यों, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग कार्य भी शामिल हैं, को स्वीकृत किया गया है (विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न)। आरडीएसएस की समाप्ति तिथि 31 मार्च 2028 है।

इसके अतिरिक्त, इन जिलों में वोल्टेज समस्याओं, ट्रिपिंग और लाइन हानियों का समाधान करने के लिए राज्यों द्वारा अपनी व्यवसाय योजना के अंतर्गत विभिन्न वितरण अवसंरचना कार्य किए गए हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3436

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई विवरण:

वित्तीय विवरण:

जिला	संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपये में)	समापन लागत (करोड़ रूपये में)	जारी जीबीएस (करोड़ रूपये में)
एटा	137.94	156.94	94.43
जौनपुर	44.78	61.46	36.97
कांशीराम नगर (कासगंज)	10.92	9.59	5.77

किए गए प्रमुख कार्य:

क्रम सं.	मद	यूनिट	एटा	जौनपुर	कांशीराम नगर (कासगंज)
1	सब-स्टेशन (अभिवृद्धि सहित)	संख्या	26	20	05
2	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1349	123	51
3	फीडर पृथक्करण	सीकेएम	880.45	00	00
4	11 केवी लाइन	सीकेएम	158.42	38.99	49.87
5	एलटी लाइन	सीकेएम	679.42	93.62	27.35
6	33 केवी एवं 66 केवी लाइन	सीकेएम	106.76	0	18.94

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3436

अनुबंध-II

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत विवरण

1. एटा जिला

(करोड़ रूपये)

क्रम सं.	विवरण	परियोजना लागत
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	155.41
2	हानि न्यूनीकरण कार्य	235.31
कुल		**390.72**

हानि न्यूनीकरण कार्य

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	संस्वीकृत परिमाण
1	हाई टेंशन (एचडी) लाइन	सीकेएम	1,114.63
2	लो टेंशन (एलटी) लाइन	सीकेएम	53,25.99
3	नए डीटी	संख्या	162
4	विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत घर	संख्या	4,618

2. कासगंज जिला

(करोड़ रूपये)

क्रम सं.	विवरण	परियोजना लागत
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	137.46
2	हानि न्यूनीकरण कार्य	220.46
कुल		**357.92**

हानि न्यूनीकरण कार्य

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	संस्वीकृत परिमाण
1	हाई टेंशन (एचडी) लाइन	सीकेएम	1,012.45
2	लो टेंशन (एलटी) लाइन	सीकेएम	4,395.27
3	नए डीटी	संख्या	85
4	विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत घर	संख्या	2,162

3. जौनपुर जिला

(करोड़ रूपये)

क्रम सं.	विरण	परियोजना लागत
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	382.98
2	हानि न्यूनीकरण कार्य	328.41
कुल		**711.39**

हानि न्यूनीकरण कार्य

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	संस्वीकृत परिमाण
1	हाई टेंशन (एचडी) लाइन	सीकेएम	963.64
2	लो टेंशन (एलटी) लाइन	सीकेएम	7,642.20
3	नए डीटी	संख्या	1,004
4	विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत घर	संख्या	9,897

****